



SRI SATHYA SAI COLLEGE FOR WOMEN, BHOPAL
Kasturba Hospital Road, Habibganj, Bhopal -462024



Criterion 2: Teaching-Learning and Evaluation

**Key Indicator 2.1.1.2 : Document relating to
sanction of seats by affiliating University**

F.No. 04

Affiliation Renewal



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल



24/04/19 का./सं. 2019

भोपाल, दिनांक: 30/5/19

प्रति,

प्राचार्य,
016 -SHRI SATYA SAI WOMEN COLLEGE
DR. M VISVESVARAYA MARG, HABIBGANJ, BHOPAL-462024
BHOPAL



विषय:- अस्थाई सम्बद्धता की निरंतरता 2019-20 प्रदान करने विषयक।
महोदय,

विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दि. _____ की अनुशंसा पर कार्य परिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में म.प्र. वि.वि. अधि. 1973 की धरा 15 (4) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के तहत, कुलपति जी द्वारा दी गई स्वीकृति के तारतम्य में निम्नलिखित पाठ्यक्रमों की अस्थाई सम्बद्धता की निरंतरता (निम्नांकित शर्तों के तहत) प्रदान की जाती है।

S.No.	Course	Branch	Status	Seats
1	BA	ECONOMICS, ENGLISH, HINDI, HISTORY, HOME SCIENCE, MUSIC, POLITICAL SCIENCE, PSYCHOLOGY, SANSKRIT, SOCIOLOGY	TEMPORARY	100
2	BCA	---	TEMPORARY	60
3	BCOM	COMPUTER APPLICATION, ---	TEMPORARY	350
4	BSC	BIOTECHNOLOGY, BOTANY, CHEMISTRY, COMPUTER SCIENCE, MATHEMATICS, MICROBIOLOGY, PHYSICS, ZOOLOGY	TEMPORARY	300
5	MA	ENGLISH, HINDI, POLITICAL SCIENCE	TEMPORARY	120
6	MCOM	ACCOJNT. MANAGEMENT	TEMPORARY	160
7	MSC	BIOTECHNOLOGY, CHEMISTRY, COMPUTER SCIENCE, MATHEMATICS, ZOOLOGY	TEMPORARY	125

शर्त:-

1. प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता निरंतर करने हेतु आगामी सत्र 2020-21 के लिए आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग तथा अन्य नियामक संस्थाओं की मान्यता, निर्धारित सम्बद्धता शुल्क एवं आवेदन पत्र के साथ नियत दिनांक तक आवेदन करना होगा।
2. उच्च शिक्षा विभाग/नियामक संस्था द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी। अन्यथा प्रदत्त अस्थाई संबद्धता मान्य योग्य नहीं होगा।
3. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसकी संपूर्ण जवाबदारी महाविद्यालय प्रबंधन की होगी।
4. किसी भी शर्त की पूर्ति न होने की स्थिति में यह संबद्धता पत्र स्वतः निरस्त मन जावेगा।
5. विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 एवं परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5,6,7 का पालन करना होगा। (केवल अशासकीय महाविद्यालयों हेतु)
6. प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत पूर्ण कर सूची 3 माह में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। (केवल अशासकीय महाविद्यालयों हेतु)
7. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा। (केवल अशासकीय महाविद्यालयों हेतु)
8. शासी निकाय का गठन कर नियमित बैठकों का आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा। प्रति 3 माह में। (केवल अशासकीय महाविद्यालयों हेतु)
9. विश्वविद्यालय में जमा/जमा की जाने वाली FDR की पूर्ण जानकारी 1 माह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (केवल अशासकीय महाविद्यालयों हेतु)

24/05 का./सं.

30/5/19


प्रतिलिपि-

1. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल।
2. अतिरिक्त संचालक भोपाल/नर्मदापुरम संभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. प्रभारी आई.टी./वेब सेल बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. उप कुलसचिव गोपनीय/परीक्षा की ओर सूचनार्थ।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।

Print Date: Jun 10 2019 4:46:42


SPULLW
8-7-19

Dr. Archana Srivastava
Principal
Sri Satya Sai College
For Women, Bhopal (M.P.)





बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल



क्रमांक 2138/अकादमी/संबद्धता/2022

प्रति,

प्राचार्य,

भोपाल, दिनांक 22/05/2022

अस्थाई संबद्धता 2022-23

016- SRI SATYA SAI WOMEN COLLEGE H.E. HOSPITAL, HABIBGANJ, BHOPAL

विषय:- सत्र 2022-23 अस्थाई संबद्धता की निरंतरता प्रदान करने विषयक ।
महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 11.05.2022 में की गई अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की आगामी बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में आपके महाविद्यालय को निम्नानुसार पाठ्यक्रमों की सत्र 2022-23 हेतु अस्थाई संबद्धता की निरंतरता प्रदान की जाती है।

सरल क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या
1	BED	100

शर्तें:-

- 1 प्रदत्त अस्थाई संबद्धता निरंतर करने हेतु आगामी सत्र 2023-24 के लिए आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग तथा NCTE की मान्यता, निर्धारित संबद्धता शुल्क एवं आवेदन पत्र के साथ नियत दिनांक तक आवेदन करना होगा।
- 2 उच्च शिक्षा विभाग/नियामक संस्था द्वारा सशर्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की सकेगी। अन्यथा प्रदत्त अस्थाई संबद्धता मान्य योग नहीं होगी! किसी भी शर्तों की पूर्ति न होने की स्थिति में यह संबद्धता पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 3 बिना संबद्धता के किसी भी छात्र/छात्रा का प्रवेश मान्य नहीं होगा। उसकी संपूर्ण जबाबदार महाविद्यालय प्रबंधन की होगी।
- 4 विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5.6.7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- 5 प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति कालेज कोड-28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची यथाशीघ्र विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी एवं चयनित प्राचार्यों/शिक्षकों की सूची ज्वॉइनिंग, नियुक्ति पत्र महाविद्यालय की वेबसाईट में प्रदर्शित करना अनिवार्य है। अन्यथा संबद्धता/निरंतरता आगामी वर्ष की प्रदान नहीं करी जायेगी।
- 6 महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा। (अशासकीय महाविद्यालय हेतु)
- 7 आपको शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
- 8 विश्वविद्यालय में जमा की जाने वाली FDR की पूर्ण जानकारी 1 माह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (अशासकीय महाविद्यालय हेतु)

Archana

उप-कुलसचिव (अकादमी)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल
भोपाल, दिनांक 22/05/2022

क्रमांक 2139/अकादमी/संबद्धता/2022

प्रतिलिपि:-

- 1 आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग सतपुडा भवन भोपाल।
- 2 अतिरिक्त संचालक, शिक्षा विभाग सतपुडा भवन भोपाल।
- 3 क्षेत्रीय संचालक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नई दिल्ली।
- 4 उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा एवं अधिष्ठाता छात्र कल्याण, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
- 5 कुलपति जी/कुलसचिव जी के निजी सहायक बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।

Dr. Archana Srivastava
Principal
Sri Satya Sai College
For Women, Bhopal (M.P.)

सहायक-कुलसचिव (अकादमी)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

कं. 902/अका./संबं/2022

भोपाल दिनांक 26-5-2022

To,
Principal,
Shri Satya Sai College for Women, (Autonomous)
BHEL Bhopal

Affiliation Renewal
(2022-23)

(विषय:- स्थाई /अस्थाई सम्बद्धता की निरंतरता सत्र 2022-23 प्रदान करने विषयक ।
महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 11.05.2022 में की गई अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की आगामी बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में आपके महाविद्यालय को निम्नानुसार पाठ्यक्रमों/विषयों को सत्र 2022-23 हेतु स्थाई/अस्थाई संबद्धता की निरंतरता प्रदान की जाती है।

S.NO	COURSE	SUBJECT	PERMANENT/ TEMPORARY
1	BCom III	All Compulsory Subjects with CompAppl	PERMANENT
2	BSc III	FC, Zool, Chem, Maths, Phy, Bot	PERMANENT
3	BA III	Hindi, English, Maths, History, PolSc, Home Sc, Psychology, Sanskrit, Economics, Soci, Philosophy,	PERMANENT
4	BA III	Music	PERMANENT
5	BCA III		TEMPORARY
6	MAF	PolSc, Hindi, English	TEMPORARY
7	MScF	Maths, Chem, Zoology, BioTech, CompSc	TEMPORARY
8	MComF		TEMPORARY
9	BSc - III	BioTech, CompSc, MicroBio, Zool	TEMPORARY

शर्त:-

1. प्रदत्त अस्थाई संबद्धता/निरंतर करने हेतु आगामी सत्र 2023-24 के लिए आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग तथा अन्य नियामक संस्था की मान्यता निर्धारित संबद्धता शुल्क एवं आवेदन पत्र के साथ नियत दिनांक तक आवेदन करना होगा।
2. उच्च शिक्षा विभाग/नियामक संस्था द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी अन्यथा प्रदत्त अस्थाई संबद्धता मान्य योग्य नहीं होगी। किसी भी शर्तों की पूर्ति न होने की स्थिति में प्रदत्त संबद्धता पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।
3. बिना संबद्धता के किसी छात्र-छात्रा का प्रवेश मान्य नहीं होगा। उसकी संपूर्ण जवाबदारी महाविद्यालय प्रबंधन की होगी।
4. विश्वविद्यालय परिचय 27,28 तथा परीक्षा अध्यादेश 5,6,7 का पालन करना होगा।
5. प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति वि.वि. अधिनियम 28 के तहत पूर्ण कर नियुक्त शिक्षकों की सूची नियुक्ति पत्र, मय ज्वाइनिंग रिपोर्ट विश्वविद्यालय की मेल आई डी पर एक्सल शीट में एवं महावि. की वेबसाइट पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड अकाउंटेंट से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा। (अशासकीय महाविद्यालय हेतु)
7. शासी निकाय का गठन कर नियमित बैठक का आयोजन एवं विवरण तीन माह में वि.वि. को भेजना होगा (अशा. महावि. हेतु)
8. संबंधित पाठ्यक्रमों हेतु FDR की मुल प्रति एक माह में वि.वि. में जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रदत्त पाठ्यक्रमों की संबद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
9. चयनित शिक्षकों के वेतन पत्रक, वेतन कटौती, वृत्ति कर, इत्यादि की जानकारी भी अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।
- 10 उक्त शर्तों का पालन न करने पर परिचय-27 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

आदेशानुसार

[Signature]
उपकुलसचिव, (अकादमी)

भोपाल, दिनांक.....
26-5-2022

[Signature]

[Signature]

सहा. कुलसचिव, (अकादमी)

पृ.कं. 903/अका./संबं/2022


प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग सतपुडा भवन भोपाल।
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल नर्मदापुरम संभाग भोपाल।
3. प्रभारी, वि.वि. आई.टी. वेब सेल भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. उपकुलसचिव गोपनीय/परीक्षा की ओर सूचनार्थ।
5. कुलपति/कुलसचिव जी के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।

[Signature]
Dr. Archana Srivastava
Principal
Sri Sathya Sai College
For Women, Bhopal (M.P.)



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल



क्रमांक 2138/अकादमी/संबद्धता/2022

प्रति,

प्राचार्य,

भोपाल, दिनांक 22/05/2022

अस्थाई संबद्धता 2022-23

016- SRI SATYA SAI WOMEN COLLEGE H.E. HOSPITAL, HABIBGANJ, BHOPAL

विषय:- सत्र 2022-23 अस्थाई संबद्धता की निरंतरता प्रदान करने विषयक ।
महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 11.05.2022 में की गई अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की आगामी बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में आपके महाविद्यालय को निम्नानुसार पाठ्यक्रमों की सत्र 2022-23 हेतु अस्थाई संबद्धता की निरंतरता प्रदान की जाती है।

सरल क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या
1	BED	100

शर्तें:-

- 1 प्रदत्त अस्थाई संबद्धता निरंतर करने हेतु आगामी सत्र 2023-24 के लिए आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग तथा NCTE की मान्यता, निर्धारित संबद्धता शुल्क एवं आवेदन पत्र के साथ नियत दिनांक तक आवेदन करना होगा।
- 2 उच्च शिक्षा विभाग/नियामक संस्था द्वारा सशर्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की सकेगी। अन्यथा प्रदत्त अस्थाई संबद्धता मान्य योग नहीं होगी! किसी भी शर्तों की पूर्ति न होने की स्थिति में यह संबद्धता पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 3 बिना संबद्धता के किसी भी छात्र/छात्रा का प्रवेश मान्य नहीं होगा। उसकी संपूर्ण जबाबदार महाविद्यालय प्रबंधन की होगी।
- 4 विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5.6.7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- 5 प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति कालेज कोड-28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची यथाशीघ्र विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी एवं चयनित प्राचार्यों/शिक्षकों की सूची ज्वॉइनिंग, नियुक्ति पत्र महाविद्यालय की वेबसाईट में प्रदर्शित करना अनिवार्य है। अन्यथा संबद्धता/निरंतरता आगामी वर्ष की प्रदान नहीं करी जायेगी।
- 6 महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा। (अशासकीय महाविद्यालय हेतु)
- 7 आपको शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
- 8 विश्वविद्यालय में जमा की जाने वाली FDR की पूर्ण जानकारी 1 माह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (अशासकीय महाविद्यालय हेतु)

Archa

उप-कुलसचिव (अकादमी)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल
भोपाल, दिनांक 22/05/2022

क्रमांक 2139/अकादमी/संबद्धता/2022

प्रतिलिपि:-

- 1 आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग सतपुडा भवन भोपाल।
- 2 अतिरिक्त संचालक, शिक्षा विभाग सतपुडा भवन भोपाल।
- 3 क्षेत्रीय संचालक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नई दिल्ली।
- 4 उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा एवं अधिष्ठाता छात्र कल्याण, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
- 5 कुलपति जी/कुलसचिव जी के निजि सहायक बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।

Archa
Dr. Archana Srivastava
Principal
Sri Sathya Sai College
For Women, Bhopal (M.P.)

सहायक-कुलसचिव (अकादमी)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल



वरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भोपाल दिनांक 23-6-2021


पृ.कं. 670/अका.सं.बं/2021

प्रति,

प्राचार्य,
Shri Sathya Sai College for Women,
BHIL Bhopal

(Autonomous)

**Affiliation Renewal
(2021-22)**



विषय:- स्थाई /अस्थायी संबद्धता की निरंतरता सत्र 2021-22 प्रदान करने विषयक ।
महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 10.06.2021 में की गई अनुशंसा एवं विश्वविद्यालय अधिनियम - 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति जी को प्राप्त अधिकार अनुसार प्राप्त स्वीकृति के उपरान्त आपके महावि० को निम्नानुसार पाठ्यक्रम में निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को सत्र 2021-22 हेतु स्थाई/अस्थायी संबद्धता की निरंतरता प्रदान की जाती है।

S.No	COURSE	BRANCH	STATUS
1	BSc III	FC, Chem, Bot, Zool, Maths Physics	PERMANENT
2	BCom III	All Compulsory Subjects with CA	PERMANENT
3	BA III	FC, Hindi, English, Maths, History, PolSc, HSc, Psychology, Sanskrit, Economics, Sociology, Philosophy, Music,	PERMANENT
4	BA. III		TEMPORARY
5	MA F	PolSc, Hindi, English	TEMPORARY
6	BCA III	7. MCom (F)	TEMPORARY
8	MScF	Maths, Chem, Zoology, BioTech, CompSc	TEMPORARY
9	BSc - III	BioTech, CompSc, MicroBio, Zool	TEMPORARY

शर्त:-

- प्रदत्त स्थाई/ अस्थायी संबद्धता/निरंतर करने हेतु आगामी सत्र 2022-23 के लिए आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग तथा अन्य नियामक संस्था की मान्यता निर्धारित संबद्धता शुल्क एवं आवेदन पत्र के साथ नियत दिनांक तक आवेदन करना होगा।
- उच्च शिक्षा विभाग/नियामक संस्था द्वारा जारी शर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी अन्यथा प्रदत्त अस्थायी संबद्धता मान्य योग्य नहीं होगी।
- बिना संबद्धता के किसी छात्र छात्रा का प्रवेश मान्य नहीं होगा। उसकी संपूर्ण जवाबदारी महाविद्यालय प्रबंधन की होगी।
- किसी भी शर्त की पूर्ति न होने की स्थिति में यह संबद्धता पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- विश्वविद्यालय परिनियम 27,28 तथा परीक्षा अध्यादेश 5,6,7 का पालन करना होगा।
- प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति उच्च शिक्षा विभाग/विश्वविद्यालय अधिनियम के नियमानुसार करना अनिवार्य होगा।

पृ.कं. 671/अका.सं.बं/2021

प्रतिलिपि.

- अभ्युक्त उच्च शिक्षा विभाग रातपुरा भवन भोपाल।
- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल बर्मदापुरम संभाग भोपाल।
- प्रभारी, वि.वि. आई.टी. वेब सेल भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- उपकुलसचिव गोपनीय/परीक्षा की ओर सूचनाार्थ।
- कुलपति/कुलसचिव जी के विजी सहायक के माध्यम से सूचनाार्थ।

आदेशानुसार

उपकुलसचिव (अकादमी)

भोपाल, दिनांक.....

23-6-2021

सहा.कुलसचिव (अकादमी)

14

Dr. Archana Srivastava
Principal
Sri Sathya Sai College
For Women, Bhopal (M.P.)

IT cell

Signature
1.7.21



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 670/अकादमी/सम्बद्धता/2021
प्रति,
प्राचार्य

भोपाल, दिनांक 23-06-2021



016- SRI SATYA SAI WOMEN COLLEGE
H.E. HOSPITAL, HABIBGANJ
BHOPAL

विषय:- सत्र 2021-22 अस्थाई संबद्धता की निरंतरता प्रदान करने विषयक ।

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 10-06-2021 में की गई अनुशंसा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15 (4) के अंतर्गत कुलपति जी को प्राप्त अधिकार के तहत स्वीकृति में स्वीकृति नियामक संस्था की मान्यता के आधार पर आपके महाविद्यालय को निम्नांकित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता की निरंतरता सत्र 2021-22 हेतु दर्शित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या
1	बी. एड. (दो वर्षीय पाठ्यक्रम)	100

शर्त:-

1. प्रदत्त अस्थाई संबद्धता निरंतर करने हेतु आगामी सत्र 2022-23 के लिए आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग तथा NCTE की मान्यता, निर्धारित संबद्धता शुल्क एवं आवेदन पत्र के साथ नियत दिनांक तक आवेदन करना होगा।
2. उच्च शिक्षा विभाग/नियामक संस्था द्वारा सशर्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी। अन्यथा प्रदत्त अस्थाई संबद्धता मान्य योग्य नहीं होगी। किसी भी शर्तों की पूर्ति न होने की स्थिति में यह संबद्धता पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
3. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र/छात्रा का प्रवेश मान्य नहीं होगा। उसकी संपूर्ण जबाबदार महाविद्यालय प्रबंधन की होगी।
4. विश्वविद्यालय परिणियम 27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5,6,7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
5. प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति कालेज कोड-28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची तीन माह में विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
6. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा। (अशासकीय महाविद्यालय हेतु)
7. आपको शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
8. विश्वविद्यालय में जमा की जाने वाली FDR की पूर्ण जानकारी 1 माह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (अशासकीय महाविद्यालय हेतु)

आदेशानुसार

उप-कुलसचिव, (अकादमी) |
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

भोपाल, दिनांक 23-06-2021

पृ० क्रमांक 671/अकादमी/सम्बद्धता/2021
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल ।
2. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल ।
3. क्षेत्रीय संचालक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नई दिल्ली
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा एवं अधिष्ठाता छात्र कल्याण, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल ।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

सहायक-कुलसचिव (अकादमी)

Dr. Sachana Srivastava
Principal
23/6/21

Dr. Archana Srivastava
Principal
Sri Sathya Sai College
For Women, Bhopal (M.P.)



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

416
14/7/2020

कं. 1625/अका./संबं/2020

भोपाल दिनांक 14/7/2020

प्रति,

प्राचार्य/अध्यक्ष

Satya Sai Women College.

BHEL Bhopal

विषय:- अस्थाई सम्बद्धता की निरंतरता सत्र 2020-21 प्रदान करने विषयक ।

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 11.05.2020, 22.05.2020 एवं 05.06.2020 में की गई अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 17.06.2020, में अनुमोदन उपरांत महाविद्यालय को निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को सत्र 2020-21 हेतु स्थाई/अस्थाई संबद्धता की निरंतरता प्रदान की जाती है।

Course	Subject
BSc III	FC, Zool, Chem, Maths, Phy, Bot
BCom /II	All Compulsory Subjects with CompAppl
BA III	Hindi, English, Maths, History, PolSc, HSc, Psychology, Sanskrit, Economics, Sociology, Philosophy, Music
BCA III	
MAF	PolSc, Hindi, English
MScF	Maths, Chem, Zoology, BioTech, CompSc
MComF	A/M
BSc - III	BioTech, CompSc, MicroBio.

शर्त:-

1. प्रदत्त अस्थाई संबद्धता/निरंतर करने हेतु आगामी सत्र 2021-22 के लिए आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग तथा अन्य नियामक संस्था की मान्यता निर्धारित संबद्धता शुल्क एवं आवेदन पत्र के साथ नियत दिनांक तक आवेदन करना होगा।
2. उच्च शिक्षा विभाग/नियामक संस्था द्वारा जारी शर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी अन्यथा प्रदत्त अस्थाई संबद्धता मान्य योग्य नहीं होगी। किसी भी शर्तों की पूर्ति न होने की स्थिति में प्रदत्त संबद्धता पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।
3. बिना संबद्धता के किसी छात्र-छात्रा का प्रवेश मान्य नहीं होगा। उसकी संपूर्ण जवाबदारी महाविद्यालय प्रबंधन की होगी।
4. विश्वविद्यालय परिचियम 27, 28 तथा परीक्षा अध्यादेश 5, 6, 7 का पालन करना होगा। (अशासकीय महाविद्यालय हेतु)
5. प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति वि.वि. अधिनियम 28 के तहत पूर्ण कर सूची तीन माह में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। (अशास महावि. हेतु)
6. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड अकाउंटेंट से स्थापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा। (अशासकीय महाविद्यालय हेतु)
7. शासी निकाय का गठन कर नियमित बैठक का आयोजन एवं विवरण तीन माह में वि.वि. को भेजना होगा। (अशास महावि. हेतु)
8. वि.वि. में जमा की जाने वाली FDR पूर्ण जानकारी एक माह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (अशासकीय महाविद्यालय हेतु)

आदेशानुसार

(डा. आर. भारती)

कुलसचिव

भोपाल, दिनांक 14/7/2020

पृ.कं. 1626/अका.संबं/2020

प्रतिनिधि:-

1. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग सतपुडा भवन भोपाल।
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल जर्मदापुरम संभाग भोपाल।
3. प्रभारी, वि.वि. आई.टी. /वेब सेल भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. उपकुलसचिव गोपनीय/परीक्षा की ओर सूचनायं।
5. कुलपति/कुलसचिव जी के निजी सहायक के माध्यम से सूचनायं।

उपकुलसचिव (अकादमी)

Dr. Archana Srivastava
Principal

Sri Sathya Sai College
For Women, Bhopal (M.P.)

अकादमी शाखा
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 1625 / अकादमी / संबद्धता / 2020

भोपाल, दिनांक 14/07/2020

प्रति,
प्राचार्य

**016- SRI SATYA SAI WOMEN COLLEGE
H.E. HOSPITAL, HABIBGANJ
BHOPAL**

विषय- सत्र 2020-21 अस्थाई संबद्धता की निरंतरता प्रदान करने विषयक ।
महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 11.05.2020, 22.05.2020 एवं 05.06.2020 में की गई अनुशंसा तथा कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 17.06.2020 में अनुमोदनोपरांत एवं नियामक संस्था की मान्यता के आधार पर आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता की निरंतरता सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है -

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या
1	बी. एड. (दो वर्षीय पाठ्यक्रम)	100

शर्तें-

1. प्रदत्त अस्थाई संबद्धता निरंतर करने हेतु आगामी सत्र 2020-21 के लिए आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग तथा NCTE की मान्यता, निर्धारित संबद्धता शुल्क एवं आवेदन पत्र के साथ नियत दिनांक तक आवेदन करना होगा।
2. उच्च शिक्षा विभाग/नियामक संस्था द्वारा सशर्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी। अन्यथा प्रदत्त अस्थाई संबद्धता मान्य योग्य नहीं होगी। किसी भी शर्तों की पूर्ति न होने की स्थिति में यह संबद्धता पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
3. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र/छात्रा का प्रवेश मान्य नहीं होगा। उसकी संपूर्ण जबाबदार महाविद्यालय प्रबंधन की होगी।
4. विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5,6,7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
5. प्राचार्य/शिक्षको की नियुक्ति कालेज कोड-28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची तीन माह में विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
6. महाविद्यालय का आधे-व्यय पत्रक वार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा। (अशासकीय महाविद्यालय हेतु)
7. आपको शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
8. विश्वविद्यालय में जमा की जाने वाली FDR की पूर्ण जानकारी 1 माह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (अशासकीय महाविद्यालय हेतु)

आदेशानुसार

(डॉ. बी. भारती)

कुलसचिव

प्रतिलिपि: 1626 / अकादमी / संबद्धता / 20

भोपाल, दिनांक 14/07/2020

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग सलपुड़ा भवन भोपाल ।
2. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सलपुड़ा भवन भोपाल ।
3. क्षेत्रीय संचालक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मन्स भवन श्यामला हिल्स भोपाल
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा एवं अधिाता छात्र कल्याण, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल ।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

उप-कुलसचिव, (अकादमी)

Dr. Archana Srivastava
Principal
Sri Sathya Sai College
For Women, Bhopal (M.P.)

F.No. 04

Affiliation Renewal



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल



24/04/19 का./सं. 2019

भोपाल, दिनांक: 30/5/19

प्रति,

प्राचार्य,
016 -SHRI SATYA SAI WOMEN COLLEGE
DR. M VISVESVARAYA MARG, HABIBGANJ, BHOPAL-462024
BHOPAL



विषय:- अस्थाई सम्बद्धता की निरंतरता 2019-20 प्रदान करने विषयक।
महोदय,

विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दि. _____ की अनुशंसा पर कार्य परिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में म.प्र. वि.वि. अधि. 1973 की धरा 15 (4) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के तहत, कुलपति जी द्वारा दी गई स्वीकृति के तारतम्य में निम्नलिखित पाठ्यक्रमों की अस्थाई सम्बद्धता की निरंतरता (निम्नांकित शर्तों के तहत) प्रदान की जाती है।

S.No.	Course	Branch	Status	Seats
1	BA	ECONOMICS, ENGLISH, HINDI, HISTORY, HOME SCIENCE, MUSIC, POLITICAL SCIENCE, PSYCHOLOGY, SANSKRIT, SOCIOLOGY	TEMPORARY	100
2	BCA	---	TEMPORARY	60
3	BCOM	COMPUTER APPLICATION, ---	TEMPORARY	350
4	BSC	BIOTECHNOLOGY, BOTANY, CHEMISTRY, COMPUTER SCIENCE, MATHEMATICS, MICROBIOLOGY, PHYSICS, ZOOLOGY	TEMPORARY	300
5	MA	ENGLISH, HINDI, POLITICAL SCIENCE	TEMPORARY	120
6	MCOM	ACCOJNT. MANAGEMENT	TEMPORARY	160
7	MSC	BIOTECHNOLOGY, CHEMISTRY, COMPUTER SCIENCE, MATHEMATICS, ZOOLOGY	TEMPORARY	125

शर्तें:-

1. प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता निरंतर करने हेतु आगामी सत्र 2020-21 के लिए आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग तथा अन्य नियामक संस्थाओं की मान्यता, निर्धारित सम्बद्धता शुल्क एवं आवेदन पत्र के साथ नियत दिनांक तक आवेदन करना होगा।
2. उच्च शिक्षा विभाग/नियामक संस्था द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी। अन्यथा प्रदत्त अस्थाई संबद्धता मान्य योग्य नहीं होगा।
3. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसकी संपूर्ण जवाबदारी महाविद्यालय प्रबंधन की होगी।
4. किसी भी शर्त की पूर्ति न होने की स्थिति में यह संबद्धता पत्र स्वतः निरस्त मन जावेगा।
5. विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 एवं परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5,6,7 का पालन करना होगा। (केवल अशासकीय महाविद्यालयों हेतु)
6. प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत पूर्ण कर सूची 3 माह में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। (केवल अशासकीय महाविद्यालयों हेतु)
7. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा। (केवल अशासकीय महाविद्यालयों हेतु)
8. शासी निकाय का गठन कर नियमित बैठकों का आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा। प्रति 3 माह में। (केवल अशासकीय महाविद्यालयों हेतु)
9. विश्वविद्यालय में जमा/जमा की जाने वाली FDR की पूर्ण जानकारी 1 माह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (केवल अशासकीय महाविद्यालयों हेतु)

24/05 का./सं.

30/5/19

भा.दे.भ.मु.सं.र

उप-कुलसचिव, (अकादमी)

प्रतिलिपि-

1. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल।
2. अतिरिक्त संचालक भोपाल/नर्मदापुरम संभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. प्रभारी आई.टी./वेब सेल बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. उप कुलसचिव गोपनीय/परीक्षा की ओर सूचनार्थ।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।



सं.सचिव, कुलसचिव, (अकादमी)

Print Date: Jun 10 2019 4:46:42

SPULLW

8-7-19

Dr. Archana Srivastava
Principal
Sri Sathya Sai College
For Women, Bhopal (M.P.)

Affiliation Renewal

BU1901150006



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्र. 2405/अका./संब. 2019

भोपाल, दिनांक: 30/5/19

प्रति,

प्राचार्य,
016 -SHRI SATYA SAI WOMEN COLLEGE
DR. M VISVESVARAYA MARG, HABIBGANJ, BHOPAL-462024
BHOPAL



विषय:- अस्थाई सम्बद्धता की निरंतरता 2019-20 प्रदान करने विषयक।

महोदय,

30-4-2019

विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दि. _____ की अनुशंसा पर कार्य परिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में म.प्र. वि.वि. अधि. 1973 की धरा 15 (4) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के तहत, कुलपति जी द्वारा दी गई स्वीकृति के तारतम्य में निम्नलिखित पाठ्यक्रमों की अस्थाई सम्बद्धता की निरंतरता (निम्नांकित शर्तों के तहत) प्रदान की जाती है।

S.No.	Course	Branch	Status	Seats
1	BED	---	TEMPORARY	100

शर्त:-

1. प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता निरंतर करने हेतु आगामी सत्र 2020-21 के लिए आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग तथा अन्य नियामक संस्थाओं की मान्यता, निर्धारित सम्बद्धता शुल्क एवं आवेदन पत्र के साथ नियत दिनांक तक आवेदन करना होगा।
2. उच्च शिक्षा विभाग/नियामक संस्था द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी। अन्यथा प्रदत्त अस्थाई संबद्धता मान्य योग्य नहीं होगा।
3. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसकी संपूर्ण जवाबदारी महाविद्यालय प्रबंधन की होगी।
4. किसी भी शर्त की पूर्ति न होने की स्थिति में यह संबद्धता पत्र स्वतः निरस्त मन जावेगा।
5. विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 एवं परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5,6,7 का पालन करना होगा। (केवल अशासकीय महाविद्यालयों हेतु)
6. प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत पूर्ण कर सूची 3 माह में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। (केवल अशासकीय महाविद्यालयों हेतु)
7. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा। (केवल अशासकीय महाविद्यालयों हेतु)
8. शासी निकाय का गठन कर नियमित बैठकों का आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा। प्रति 3 माह में। (केवल अशासकीय महाविद्यालयों हेतु)
9. विश्वविद्यालय में जमा/जमा की जाने वाली FDR की पूर्ण जानकारी 1 माह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (केवल अशासकीय महाविद्यालयों हेतु)

क्र. 2405/अका./संब. 2019

प्रतिलिपि-

1. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल।
2. अतिरिक्त संचालक भोपाल/नर्मदापुरम संभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. प्रभारी आई.टी./वेब सेल बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. उप कुलसचिव गोपनीय/परीक्षा की ओर सूचनार्थ।
5. कुलपति/ कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।

Print Date :-May 25 2019 5:49:51

SP...
3.7.19

Dr. Archana Srivastava
Principal
Sri Sathya Sai College
For Women, Bhopal (M.P.)



BARKATULLAH UNIVERSITY, BHOPAL

107
16-5-18

No. 892 / Acad./Affi./2018

Date: 16/5/18

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

This is to certify that Sri Sathya Sai College for Women BPL Madhya Pradesh is affiliated to the Barkatullah University, since 1970 and the following courses/ subjects are taught in the said college.

S. No.	Name of Course.	Affiliation (Permanent/ Temporary)
01	B.A. 300 seats	
02	B.C.A. 60 seats	
03	B.Sc. (BZC) 100 seats	
04	B.Sc. (Biotech) 30 seats	
05	B.Sc. (Micro) 30 seats	
06	B.Sc. (PCM) + Com.s. 90+50 seats	
07	B.Com + CA 120+120=300 seats	
08	M.A. :- English, Hindi, Political Sci., (25 seats each sub.)	
09	M.Sc. :- Biotech, Chemistry, Com.s., math, Zoology (25 seats each sub.)	
10	M.Com :- (80 seats)	
11		

Affiliation given to this college and it's courses. valid as on date of issue of this letter.

W/o Mrs. Abhilasha Kumar
& IT Cell

F. Jaiswal
16.5.18

Dr. Archana Srivastava
Principal
Sri Sathya Sai College
For Women, Bhopal (M.P.)

Pr. Att. Registrar (Acadmic)
BARKATULLAH UNIVERSITY
Bhopal



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

14/9/18

RENEWAL

क्रमांक: 2134 अका./संब./2018

भोपाल, दिनांक: 30/5/18

प्रति,

प्राचार्य,

16-SHRI SATYA SAI WOMEN COLLEGE
DR. M VISVESVARAYA MARG, HABIBGANJ, BHOPAL-462024
BHOPAL
NCTE FILE NO.:213013

विषय: सम्बद्धता की निरन्तरता/अवीन अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने विषयक सत्र 2018-19.

सरोदय,

विरासत समिति की अनुशंसा, कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्राप्त अधिकार अनुसार प्राप्त स्वीकृति के उपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित कार्यक्रमों की अस्थाई सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

Course Name / Branch	Seat No.
BED-PLAIN	100

- अस्थाई सम्बद्धता निरंतर करने हेतु आगामी सत्र 2019-20 के लिए आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग/नियामक संस्था की मान्यता, निर्धारित सम्बद्धता शुल्क एवं आवेदन पत्र के साथ नियत दिनांक तक आवेदन करना होगा।
- विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 एवं परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5,6,7 सहित अन्य नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा।
- प्राचार्य / शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत पूर्ण कर सूची प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
- सारी विधाय का गठन कर नियमित बैठकों का आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
- उच्च शिक्षा विभाग/नियामक संस्था द्वारा जारी सशर्त (यदि कोई हो) अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में सम्बद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी। अन्यथा प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
- बिना सम्बद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसकी सम्पूर्ण जवाबदारी महाविद्यालय प्रबंधन को होगी।
- विश्वविद्यालय में जमा/जमा की जाने वाली एफ0डी0आर0 की पूर्ण जानकारी एक माह में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- किसी भी नियम/निर्देश/प्रावधान की पूर्ति न होने की स्थिति में यह सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

आदेशानुसार



उपकुलसचिव (अकादमी)

भोपाल, दिनांक: 30/5/18

क्रमांक: 2135 अका./संब./2018

प्रति,

- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- अतिरिक्त संचालक भोपाल / नर्मदापुरम संभाग, भोपाल।
- प्रभारी, आई0टी0/वेब सेल, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
- उपकुलसचिव (गोपनीय / परीक्षा) की ओर सूचनार्थ।
- कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।

सहायक कुलसचिव (अकादमी)

Dr. Archana Srivastava
Principal
Sri Sathya Sai College
For Women, Bhopal (M.P.)